

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रशासन यांचे के संग अभियान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारीकरेड़ा..... व भू अभिलेख निरीक्षक
करेड़ा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्रामकरेड़ा..... पटवार हल्काकरेड़ा.....
 तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत्2075-2078..... में खाता संख्या
215..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व
 रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	करेड़ा	215	लाला पुग सोला कुमावत	लालू राम पुग सोला कुमावत

प्रमाणित
 उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक:- 11/11/2021

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 35

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लालू राम पुग सोला कुमावत

प्रमाणित
 उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा